संख्या– 170 /III(2)/20-51(एम.एल.ए.)2017

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 9 सितम्बर, 2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र– सोमेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 02 विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 27.00 किमी. एवं लागत **₹ 911.96 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 686.90 लाख (रूपये छः करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु प्रति कार्य **₹ 0.10** लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु **₹ 0.20** लाख (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्व रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(Viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेण्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) संलग्न कार्यों में से ₹5.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्य को प्रारम्भ कराते समय आगणन में वर्णित कार्यों की फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण कराये जाने विषयक दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xvi) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹0.20 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं.:-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22, के अन्तर्गत संलग्नक अलॉटमेण्ट आई.डी. संख्या–S20090220036दिनांक 09 सितम्बर, 2020 के द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण **(5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)** के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या- 384/XXVII(2)/2020 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या– (1)/III(2)/20-51(एम.एल.ए.)2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1701 /III(2)/20-51(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 9 सितम्बर 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1.	**मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 466/2019 के अन्तर्गत** जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र– सोमेश्वर के अन्तर्गत कर्णप्रयाग (शिमली) ग्वालदम बागेश्वर चौकोड़ी थल मुनस्यारी जौलजीवी मार्ग (रा.मा.सं.–11) कोसी कौसानी प्रभाग मोटर मार्ग के किमी. 13.00 से 31.00 व किमी. 42.00 से 44.00 में बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुधारीकरण का कार्य **(विस्तृत आगणन)।**	22.00	554.02	0.10
2.	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र– सोमेश्वर में बिजोरिया पच्चीसी मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य (किमी. 4.00 से 8.00) **(विस्तृत आगणन)।**	5.00	132.88	0.10
	कुल योग :–	**27.00**	**686.90**	**0.20**

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

09/09/2020

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1701/III(2)/20-51(MLA)2017 | आवंटन आई डी-S20090220036
अनुदान संख्या-022 | आवंटन पत्र दिनांक-09-SEP-2020

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1260000	20000	0	1280000
योग	1260000	20000	0	1280000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(श्यान सिंह)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd | E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 764 /20 याता0'क'/2020 | दिनांक–11 .09.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभिन्यता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

11/9/20
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून
11/09/2020